

## अध्याय III : थल सेना

### 3.1 परीक्षण प्रयोजनों के लिए रेडियो सेटों की अनुचित खरीद

सेना मुख्यालय ने 2006 में क्षेत्र परीक्षणों के लिए आवश्यकता से अधिक ₹21.90 करोड़ मूल्य के 322 रेडियो सेटों की अधिप्राप्ति की। बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए अधिप्राप्त इन सेटों का परीक्षणों के लिए प्रयोग नहीं किया गया था तथा इन्हें स्टार V मार्क II विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए उन्नयन आवश्यक है, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

कम्पोजिट नेट रेडियो (सी एन आर) सेटों (रेडियो सेटों) को बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों (ए एफ वी) में आवाज़ और डाटा संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मई 1992 में रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) द्वारा दी गई ₹1.73 करोड़ की संस्वीकृति के आधार पर, डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन्स लेबोरेटरी (डी ई ए एल), देहरादून और मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पंचकुला (बी ई एल) ने संयुक्त रूप से सैन्य अभियानों के लिए सी एन आर सेटों को विकसित करने का कार्य शुरू किया था। परियोजना का कार्य क्षेत्र 5 डब्ल्यू/50 डब्ल्यू आवृत्ति के होपींग रेडियो का वी एच एफ बैंड में फैब्रीकेशन और मूल्यांकन करना था। डी ई ए एल ने ₹3.41 करोड़ की लागत पर रेडियो सेटों को विकसित किया और परियोजना मार्च 2002 में बंद हो गई, यद्यपि इसने पूरी तरह से उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। डी आर डी ओ द्वारा विकसित किये गये ये सेट 1999 और 2003 के बीच काफी परीक्षणों के अधीन रहे किन्तु सफल नहीं हुए।

15,572 रेडियो सेटों की आवश्यकता के प्रति डी पी बी ने अक्टूबर 2001 में डी आर डी ओ से 7,786 रेडियो सेट की खरीद की सिफारिश की थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि प्रारम्भ में बी ई एल पर 2000 रेडियो सेटों के लिए एक आदेश जारी किया जाए जिसकी आपूर्ति 9 महीने के भीतर हो। तथ्य यह है कि परियोजना के सफल समापन के बाद भी परीक्षण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, सेना मुख्यालय द्वारा नवंबर 2003 में निर्णय लिया गया कि शुरू में 500 सेट व्यापक क्षेत्र परीक्षण के लिए खरीदे जाएंगे और शेष 1500 सेट उपकरण के परीक्षण में सफल घोषित किए जाने के बाद ही खरीदे जाएंगे।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) में यह कहा गया है कि क्षेत्र परीक्षण के लिए उपकरणों की वांछित संख्या में यूनिटें प्रदान करने हेतु विक्रेता से कहा जाना चाहिए। फिर भी हमने पाया कि सेना ने मार्च 2005 में परीक्षण प्रयोजनों के लिए 500 रेडियो सेटों की खरीद की, जो कुल आवश्यकता (2000 सेट) का 25 प्रतिशत था। अभिलेखों में कोई लिखित कारण नहीं था जो परीक्षण प्रयोजनों के लिए ₹34 करोड़ के 500

रेडियो सेट खरीदने की आवश्यकता को सही साबित कर सके। परीक्षण के लिए अनावश्यक रूप से रेडियो सेट की अधिक संख्या में खरीद पर लेखापरीक्षा में इन सेटों के वास्तविक उपयोग की जांच की गयी और पाया गया कि ₹34 करोड़ की कुल लागत पर खरीदे गए वी एच एफ 5 डब्ल्यू/50 डब्ल्यू के 500 सेटों की कुल संख्या में से केवल 178 रेडियो सेटों को परीक्षण प्रयोजनों के लिए जारी किया गया था। होल्डिंग डिपो अर्थात् केंद्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) आगरा में रखे गए अभिलेख के अनुसार ₹21.90 करोड़ मूल्य के शेष 322 सेटों को निर्गत नहीं किया गया तथा भंडार में ही पड़े हुए थे।

आगे, हमने पाया कि जब तक परीक्षण सफलतापूर्वक 2008 में पूरा किया गया, रेडियो सेटों का उन्नयन हो गया था एवं बी ई एल ने स्टार V मार्क ॥ रूपांतर के रेडियो सेटों का उत्पादन कर दिया था। इसलिए सेना मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रेडियो सेट जो शामिल किये जाने हैं, सभी रेडियो मार्क ॥ रूपांतर वाले होने चाहिए और स्टॉक में रखे गए रेडियो सेटों को भी उन्नत किया जाना चाहिए ताकि स्टार V मार्क ॥ की विशिष्टताओं के संगत किए जा सकें।

तदनुसार, सेना ने फरवरी 2010 में बी ई एल से मार्क ॥ रूपांतर के शेष 1500 रेडियो सेट की खरीद की। 2010 में मार्क ॥ रूपांतर की खरीद की लागत 2005 में मार्क-1 रूपांतर के बराबर ही थी।

जून 2006 में पहले से आपूरित 500 रेडियो सेटों को उन्नत किए जाने के लिए बी ई एल ने अप्रैल 2014 में डी जी एम एफ को यह सूचित किया कि इन सेटों को स्टार V एम के-॥ विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड (पी सी बी)/हार्डवेयर का लगभग 80 प्रतिशत प्रतिस्थापित करने और प्रमुख संशोधन करने की जरूरत है। इस के लिए बी ई एल ने प्रति यूनिट ₹3.50 लाख (अप्रैल 2014) पर रेट्रो संशोधन के लिए एक बजटीय अनुमान बनाया। जबकि 500 रेडियो सेटों के रेट्रो संशोधन के लिए निर्णय विचाराधीन था, ये सेट भावी उपयोग की प्रतीक्षा में सी ओ डी आगरा में अप्रयुक्त पड़े हुए थे (मार्च 2015)।

इस प्रकार मामले से यह पता चलता है कि क्षेत्र परीक्षण के लिए 500 रेडियो सेट की खरीद वांछनीय आवश्यकता से अधिक थी क्योंकि वास्तव में केवल 178 सेट परीक्षण के लिए उपयोग किए गए थे। ₹21.90 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त 322 रेडियो सेट, जो जून 2006 में उनकी खरीद के बाद से किसी उपयोग के बिना भंडार में रखे गए थे, इसके भी रेट्रो संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ का व्यय आवश्यक होगा। इस राशि को बचाया जा सकता था, यदि क्षेत्र परीक्षण के लिए रेडियो सेटों की खरीद उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक जरूरत के आधार पर की गई होती।

मामला मंत्रालय को नवंबर 2015 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

### 3.2 निजी संस्थान में सेवा कर्मिकों की अनियमित रूप से तैनाती

यद्यपि सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज अपनी खुद की शिक्षण सुविधाएं स्थापित करने में प्रक्रियाधीन था, मंत्रालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों के आंशिक संकाय का उपयोग करने की संस्वीकृति दी। तथापि सेना मुख्यालय ने विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय काम के लिए सेवा कर्मिकों को तैनात किया, जो मंत्रालय की संस्वीकृति में शामिल नहीं था।

सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज (ए सी एम एस), नई दिल्ली भारतीय सेना में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मिकों के आश्रितों के लिए सेना कल्याण शिक्षा संघ (ए डब्ल्यू ई एस)<sup>11</sup> के अंतर्गत कार्यरत एक व्यावसायिक संस्थान है। यह कॉलेज अपने प्रथम बैच के एम बी बी एस विद्यार्थियों के लिए 2008 में खोला गया।

कॉलेज की स्थापना को सुगम बनाने और संकाय संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2008 में रक्षा मंत्री के अनुमोदन से मंत्रालय द्वारा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं (ए एफ एम एस) के आंशिक संकाय तथा बेस अस्पताल और सेना अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली छावनी की सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देने के लिए निर्णय लिया गया:

- क) मेजर जनरल तथा ए एफ एम एस संकाय की सेवाएं न्यूनतम संभव समय के लिए ली जाएंगी, जो कॉलेज के आरंभ से पांच वर्षों से अधिक की नहीं होगी।
- ख) ए डब्ल्यू ई एस को अपने ही संकाय की भर्ती करने के लिए पांच वर्षों के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए।
- ग) बेस और आर एंड आर अस्पतालों की सुविधाओं का प्रयोग पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।

यद्यपि हमने बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी (बी एच डी सी) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा (जुलाई 2015) कि रक्षा मंत्रालय (सेना) की एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू) एड्जुटेंट जनरल (ए जी) शाखा ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान ए सी एम एस के साथ अधिकारी श्रेणी से निम्न कर्मिकों (पी बी ओ आर) को तैनात करने के लिए संस्वीकृति जारी की थी। प्रति वर्ष 38 से 61 तक ऐसे पी बी ओ आर को सेना के विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय, भंडार रक्षण, गृह रक्षण आदि कार्य के लिए ए सी एम एस के साथ तैनात किया गया था।

पांच वर्षों की अवधि के दौरान (2010-15) ए सी एम एस के साथ तैनात ऐसे कर्मिकों की कुल संख्या 276 थी। चूंकि यह कॉलेज प्रामाणिक सरकारी संस्थान नहीं है, इन

<sup>11</sup> सेना मुख्यालय में एड्जुटेंट जनरल शाखा के अंतर्गत 1860 के संघ पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत स्थापित किया गया एक संगठन।

सेवा कार्मिकों को तैनात किया जाना, जिनके नाम सेना के नियमित वेतन पंजी में दर्ज थे, नियमानुसार नहीं था।

पी बी ओ आर को अनियमित रूप से तैनात किये जाने के बारे में लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में बी एच डी सी ने कहा (नवंबर 2015) कि ए सी एम एस के लिए ए एफ एम एस के आंशिक संकाय एवं बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी की सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए फरवरी 2008 में मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर यह तैनाती की गयी थी।

प्रदत्त उत्तर वस्तुतः सही नहीं है, क्योंकि मंत्रालय द्वारा दी गई संस्वीकृति ए सी एम एस के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए संकाय का उपयोग करने के लिए थी और न कि लिपिकीय, भंडार रक्षण, गृह रक्षण आदि कार्यों के लिए पी बी ओ आर की तैनाती हेतु।

इसके अतिरिक्त सेना मुख्यालय (ए जी शाखा) ने मई 2016 में उत्तर दिया कि बी एच डी सी के नेत्र चिकित्सा विभाग को वर्ष 2014 में ए सी एम एस के अकादमिक ब्लॉक में अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया था तथा बी एच डी सी पर जनशक्ति का उपयोग किया गया था, क्योंकि विभाग को अस्पताल से दूर स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ा था। यह भी बताया गया था कि इस प्रकार ए सी एम एस के साथ तैनात सैनिकों ने बाद में बी एच डी सी में उनके व्यावसायिक कार्य भी किए।

सेना मुख्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बी एच डी सी के नेत्र चिकित्सा विभाग का स्थानांतरण 2014 में किया गया था, वह भी अस्थायी आधार पर, जबकि ए सी एम एस के साथ सेना की विभिन्न कोर/इकाईयों से पी बी ओ आर की तैनाती की प्रक्रिया 2010-11 से चल रही थी। आगे बी एच डी सी और ए सी एम एस दोनों जगह कार्य करने की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं थी।

अतः प्रामाणिक सरकारी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ए सी एम एस में 276 पी बी ओ आर को तैनात किया जाना अनधिकृत था। इसलिए सेना मुख्यालय सुधारक उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि सेवा कार्मिकों को निजी संस्थानों में तैनात नहीं किया जाता है।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

### 3.3 अतिरिक्त लॉण्ड्री सुविधा की अनियमित संस्वीकृति

जनरल ऑफिसर कमानडिंग, महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा क्षेत्र ने ₹1.21 करोड़ की लागत पर 300 किलोग्राम क्षमता की अतिरिक्त लॉण्ड्री सुविधा के लिए “अत्यावश्यक सामरिक” आधार पर “आगे बढ़ने” की संस्वीकृति प्रदान की। आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना “मानदण्ड” को बढ़ाते हुए अतिरिक्त सुविधा का निर्माण किया गया और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ संदर्भ से बचते हुए निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई।

रक्षा निर्माण कार्यविधि (डी डब्ल्यू पी), 2007 यह निर्दिष्ट करता है कि यदि किसी पूर्व संस्वीकृत कार्य में मापदण्डों अथवा स्थापनाओं में परिवर्तन अथवा अन्य विशिष्ट प्रशासनिक कारणों से अतिरिक्त कार्य आवश्यक हो जाए, तो एक पूरक व्यय अनुमान तैयार किया जायेगा तथा संपूर्ण खर्च जिसमें दोनों मूल एवं पूरक व्यय अनुमान समाविष्ट हो, का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम वित्तीय अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने ₹270.77 करोड़ की लागत पर नए कमान चिकित्सालय, दक्षिणी कमान (कमान चिकित्सालय) के निर्माण के लिए अक्टूबर 2008 में संस्वीकृति प्रदान की, जिसमें ₹1.54 करोड़ लागत की 400 किलो क्षमता की यांत्रिक लॉण्ड्री का प्रावधान समाहित था। प्रयोक्ता द्वारा परियोजित कार्यों के अतिरिक्त मदों की आवश्यकता, जो प्रारंभ में मूल संस्वीकृति में नहीं थी, को देखते हुए दिसम्बर 2012 में प्रशासनिक अनुमोदन को ₹382.37 करोड़ तक संशोधित किया गया।

इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य अभियंता, पुणे अंचल (सी ई पी जेड) ने मेसर्स ओमॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनस्ट्रक्शन्स के साथ ₹338.79 करोड़ राशि की संविदा (जनवरी 2013) की, जिसमें ₹3.72 करोड़ की लागत से 400 किलो के यांत्रिक लॉण्ड्री की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन सम्मिलित था। अगस्त 2015 की अधिसूचित समाप्ति तिथि के विपरीत कार्य की प्रगति 27 प्रतिशत हुई थी (दिसम्बर 2015)।

संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2012) से पूर्व कमान चिकित्सालय ने जून 2010 में पहले से संस्वीकृत 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन के औसत लॉण्ड्री भार को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन तक बढ़ाते हुए लॉण्ड्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक अलग प्रस्ताव लाया। अतः कमान चिकित्सालय द्वारा 300 किलो की अतिरिक्त क्षमता के प्रावधान हेतु इस मामले को “अत्यावश्यक सामरिक” आधार पर लिया गया। हालाँकि क्षमता में यह बढ़ोतरी भार के वास्तविक आकलन किए बगैर मांगा गया क्योंकि चिकित्सालय का तब तक निर्माण भी नहीं हुआ था। जनरल ऑफिसर कमानडिंग

(जी ओ सी) महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा क्षेत्र ने डी डब्ल्यू पी<sup>12</sup> के पैरा 35 का अवलंब लेते हुए ₹1.21 करोड़ की अनुमानित लागत पर कमान चिकित्सालय में लॉण्डी सेवा की क्षमता को बढ़ाने के लिए “आगे बढ़ने” की स्वीकृति प्रदान की (जून 2010)। यह कार्य ₹1.07 करोड़ की लागत पर सी ई पी जेड द्वारा (मई 2012) में कार्यान्वित किया गया अर्थात् चिकित्सालय भवन के लिए संविदा दिए जाने से सात महीने पहले।

हमने देखा कि 2008 में मंत्रालय द्वारा स्वीकृति अधिकारियों के बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दी गई, जिसकी अध्यक्षता कमान चिकित्सालय के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। चूँकि लॉण्डी उपकरण के लिए कोई मापदण्ड विद्यमान नहीं था, बोर्ड ने पुणे के 600 बिस्तरों वाले सैन्य चिकित्सालय अर्थात् सैन्य हॉस्पिटल (एम एच) कार्डिएक थिरॉसिस सेन्टर (सी टी सी) की लॉण्डी सुविधा को मापदण्ड बनाया। 250 किलो क्षमता तथा प्रति दिन आठ घण्टों का चालन से यह भार लगभग 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन बना और इसलिए 2008 में मंत्रालय द्वारा 1097 बिस्तरों वाले (सी एच एस सी) चिकित्सालय के लिए 400 किलो प्रति घंटे क्षमता वाली लॉण्डी मशीन की स्वीकृति दी गई। इसके बावजूद कि मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान करते समय 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन के मानदंडों को अनुमोदित किया था जी ओ सी ने जून 2010 में इस भार को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन संशोधित करके 300 किलो क्षमता की अतिरिक्त लॉण्डी की स्वीकृति दी।

हमने देखा कि किसी मापदण्ड के अभाव में, एम एच सी टी सी के भार के आधार पर बोर्ड द्वारा 3 किलो प्रति बिस्तर प्रतिदिन के मानदण्ड की सिफारिश की गई तथा मंत्रालय द्वारा उसे अनुमोदित किया गया। लेखापरीक्षा से यह भी उद्घटित हुआ कि अन्य सैन्य चिकित्सालयों अर्थात् एम एच किरकी, त्रिवेंद्रम, गोलकोण्डा तथा कन्ननोर में प्रति बिस्तर प्रति दिन का भार 3 किलो से कम था। अतः आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना 3 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन से मापदण्ड को 5 किलो प्रति बिस्तर प्रति दिन तक बढ़ाते हुए निम्न सक्षम वित्तीय अधिकारी द्वारा ₹1.21 करोड़ की लागत से अतिरिक्त लॉण्डी की संस्वीकृति अनियमित थी। आगे, यह मामला डी डब्ल्यू पी के पैरा 35 के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु योग्य नहीं था।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

<sup>12</sup> आकस्मिक परिचालन आवश्यकता अथवा अत्यावश्यक चिकित्सा कारणों से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर लघु मार्ग अपनाने को अनिवार्य कर देती हैं, डी डब्ल्यू पी का पैरा 35 लागू किया जाता है।

### 3.4 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ / बचतें और लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिदत्त वेतन और भत्तों, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की वसूली की थी, अनियमित संस्वीकृतियों को रद्द कर दिया और वार्षिक लेखाओं में संशोधन किया जिससे ₹184.73 करोड़ का शुद्ध प्रभाव रहा।

लेखापरीक्षा के दौरान हमें अनियमित भुगतान, शुल्कों की कम-वसूली/गैर-वसूली, अनियमित संस्वीकृतियों का जारी करना और लेखांकन त्रुटियों के कई उदाहरण देखने को मिले। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसका शुद्ध प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है :

#### **वसूलियाँ**

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ), रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), रक्षा आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, सेना की इकाईयों/संरचनाओं, भुगतान और लेखा कार्यालय, कैंटीन भंडार विभाग (सी एस डी ) प्रधान कार्यालय (एच ओ) आदि के अभिलेखों की जांच से ₹35.87 करोड़ (अनुलग्नक-VI) की राशि के वेतन और भत्तों के अनियमित भुगतान, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की गैर वसूली, बिजली शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति के मामले उजागर हुए। इंगित किए जाने पर, संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों ने अनियमित भुगतानों की वसूली की।

#### **बचतें**

विभिन्न संस्वीकृति प्राधिकारियों ने जैसे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सेना के उप क्षेत्र मुख्यालय, डी आर डी एल, आदि ने कार्यों के लिए अनियमित मंजूरी को रद्द किया एवं सेवान्त उपदान के दावों में संशोधन और सी जी ई आई एस दावों को प्रतिबंधित किया। निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया। इन कार्यों का शुद्ध परिणाम ₹8.36 करोड़ की कुल बचत थी (अनुलग्नक-VII)।

#### **सी एस डी के वार्षिक लेखाओं का संशोधन**

जब हमने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनियमित लेखांकन जैसे कि माल ढुलाई शुल्कों की कम प्रोविजनिंग, विविध लेनदार, बकाया देनदारियों को कम करके बताना एवं वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मूल्य वर्धित कर की वापसी के दावे बकाया होने के कारण बचे हुए माल और प्राप्तियों में परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, तब सी एस डी ने वार्षिक खातों में सुधार किया। लेकिन, अगर यह सुधार नहीं किए गए होते तो लाभ ₹281 करोड़ तक बढ़ा कर दिखाया जाता। चूंकि, लाभ का 50 प्रतिशत तीनों सेवाओं और अन्य लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाता है, इससे सरकार को ₹140.50 करोड़ की निवल बचत हुई (अनुलग्नक-VIII)।